

सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र क्र.. _____

दिनांक : _____

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री _____, ग्राम/मुहल्ला _____ डाकघर _____
_____ जिला _____ राज्य/संघशासित प्रदेश _____ पिन कोड _____
के मूल निवासी हैं, जिनकी फोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में उनकी/उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय* 8 लाख रुपए (आठ लाख रुपए केवल) से कम है। उनके/उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है

- I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी _____ उस जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर-----

नाम _____

पदनाम _____

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटो

* नोट 1 : आय के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल हैं।

** नोट 2 : इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन तथा उसके पति/ पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों / शहरों में एक 'परिवार' द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ा गया है।